

कार्मिक अधीक्षक उत्पाद, मधेपुरा

आदेश:-

राज्य पर्वद, बिहार, पटना की अधिसूचना संख्या-4/2003/96-175 दिनांक 27-2-2006 के आदेशों में विधि व्यवस्था बनाये रखने हेतु बुद्ध जमिनी के अफसर पर दिनांक 14-5-2014 को जिन्हें में अयोग्यता समी-प्रकार को शराब दुकानें बन्द रखी। आदेश का उलंघन करने पर सरत करिवाई की जायेगी।

पुनरुच, आमकत उत्पाद, बिहार, पटना के फांशु-1364 दिनांक 28-3-2014 के आदेशानुसार लोकसभा आमचुनाप के मतगणना को तिथि 16-5-2014 को शुरु दिवस घोषित किया गया है, अतः दिनांक 16-5-2014 को मधेपुरा जिलहान्तर्गत समी प्रकार को शराब दुकानें बन्द रखी। आदेश का उलंघन करने पर निम्नानुसार करिवाई की जायेगी।

अधीक्षक उत्पाद,
मधेपुरा।

आप संख्या _____ / उ०, दिनांक _____

प्रतिक्षीप निरीक्षक उत्पाद, मधेपुरा / समी अफर निरीक्षक उत्पाद, मधेपुरा / प्रतिनिधि सर्व शी माचामी कोरिंग पटान प्रकिक, देवी शराब विनिर्माणशाखा, मधेपुरा / डिवा प्रबन्धक, कोरिंग कोरिंग प्रकिक देवी शराब / विदेही शराब, मधेपुरा को सूचनाएं एवं आवश्यक करिवाई हेतु दीषत। समी अफर निरीक्षक उत्पाद के निदेशित किया जाता है कि जिन्हें में अन्तर्गत पत्रिकाएँ समी प्रकार के शराब दुकानों का सम्बन्ध बन्द करना सुनिश्चित करेंगे समी सघन जाती एवं क्षापामरी करेंगे ताकि किसी भी प्रकार के शराब के विक्री नहीं हो सके।

अधीक्षक उत्पाद,
मधेपुरा।

आप संख्या 640 / उ०, दिनांक 9-5-2014

प्रतिक्षीप जिहान सूचना विज्ञान पदाधिकारी, मधेपुरा के वेबसाइट पर अपलोड करने हेतु दीषत।

अधीक्षक उत्पाद,
मधेपुरा।
9/5/14